2023/271

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री महेन्द्र गोयल पुत्र श्री सुन्दरसिंह गोयल निवासी नया वास नं. 02 वार्ड नम्बर 31 जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 63 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.12.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 05.10.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पंचायत समिति सिरोही व आबूरोड में स्थित आधार केन्द्र पर निर्धारित दर से अधिक राशि लोगों से वसूल की जा रही है, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है एवं प्रार्थिया कान्ता पत्नि स्व. श्री शंकरसिंह निवासी सार्दुलपुरा को तीसरी बार पैसे देने पर दिनांक 04.09.2023 को रसीद दी गई एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ई–मित्र पर जीवित प्रमाण पत्र के 100 रूपए देने पड रहे है, इसकी जांच से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 05.10.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पंचायत समिति सिरोही व आबूरोड में स्थित आधार केन्द्र पर निर्धारित दर से अधिक राशि लोगों से वसूल की जा रही है, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है एवं प्रार्थिया कान्ता पत्नि स्व. श्री शंकरसिंह निवासी सार्दुलपुरा को तीसरी बार पैसे देने पर दिनांक 04.09.2023 को रसीद दी गई एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ई–मित्र पर जीवित प्रमाण पत्र के 100 रूपए देने पड रहे है, इसकी जांच से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग सिरोही से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./ रेकर्ड/2023/1668 दिनांक 23.10.2023 द्वारा उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग सिरोही को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner